SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

झारखण्ड़ की राजनीति में महिलाओं की सहभागिता एवं महिला सशक्तीकरण

पिन्टु कुमार पाण्डेय, शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग,
कैपिटल विश्वविद्यालय, कोडरमा, झारखण्ड़, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Corresponding Author

पिन्टु कुमार पाण्डेय, शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग,
कैपिटल विश्वविद्यालय,
कोडरमा, झारखण्ड़, भारत

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 22/06/2022
Revised on : -----
Accepted on : 29/06/2022
Plagiarism : 06% on 22/06/2022

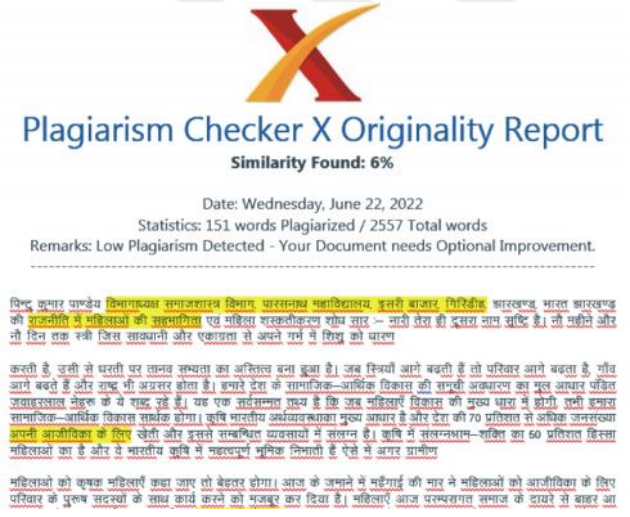

Plagiarism Checker X Originality Report
Similarity Found: 6%

Date: Wednesday, June 22, 2022
Statistics: 151 words Plagiarized / 2557 Total words
Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

पिन्टु कुमार पाण्डेय विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग, पारसनाथ महाविद्यालय, डुमरी बाजार, गिरिडीह झारखण्ड, भारत झारखण्ड की राजनीति में महिलाओं की सहभागिता एवं महिला शशक्तीकरण शोध सार :– नारी तेरा ही दूसरा नाम सृष्टि है। नौ महीने और नौ दिन तक स्त्री जिस सावधानी और एकाग्रता से अपने गर्भ में शिशु को धारण

करती है, उसी से धरती पर मानव सभ्यता का अस्तित्व बना हुआ है। जब स्त्रियाँ आगे बढती हैं तो परिवार आगे बढता है, गाँव आगे बढते हैं और राष्ट्र भी अग्रसर होता है। हमारे देश के सामाजिक–आर्थिक विकास की समूची अवधारणा का मूल आधार पंडित जवाहरलाल नेहरू के ये शब्द रहे हैं। यह एक सर्वसम्मत तथ्य है कि जब महिलाएँ विकास की मुख्य धारा में होगी, तभी हमारा सामाजिक–आर्थिक विकास सार्थक होगा। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है और देश की 70 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए खेती और इससे सम्बन्धित व्यवसायों में संलग्न है। कृषि में संलग्न श्रम–शक्ति का 50 प्रतिशत हिस्सा महिलाओं का है और वे भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ऐसे में अगर ग्रामीण महिलाओ को कृषक महिलाएँ कहा जाए तो बेहतर होगा। आज के जमाने में महँगाई की मार ने महिलाओं को आजीविका के लिए परिवार के पुरूष सदस्यों के साथ कार्य करने को मजबूर कर दिया है। महिलाएँ आज परम्परागत समाज के दायरे से बाहर आ

शोध सार

नारी तेरा ही दूसरा नाम सृष्टि है। नौ महीने और नौ दिन तक स्त्री जिस सावधानी और एकाग्रता से अपने गर्भ में शिशु को धारण करती है, उसी से धरती पर मानव सभ्यता का अस्तित्व बना हुआ है। जब स्त्रियाँ आगे बढती हैं तो परिवार आगे बढता है, गाँव आगे बढते हैं और राष्ट्र भी अग्रसर होता है। हमारे देश के सामाजिक–आर्थिक विकास की समूची अवधारणा का मूल आधार पंडित जवाहरलाल नेहरू के ये शब्द रहे हैं। यह एक सर्वसम्मत तथ्य है कि जब महिलाएँ विकास की मुख्य धारा में होगी, तभी हमारा सामाजिक–आर्थिक विकास सार्थक होगा। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है और देश की 70 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए खेती और इससे सम्बन्धित व्यवसायों में संलग्न है। कृषि में संलग्न श्रम–शक्ति का 50 प्रतिशत हिस्सा महिलाओं का है और वे भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ऐसे में अगर ग्रामीण महिलाओ को कृषक महिलाएँ कहा जाए तो बेहतर होगा। आज के जमाने में महँगाई की मार ने महिलाओं को आजीविका के लिए परिवार के पुरूष सदस्यों के साथ कार्य करने को मजबूर कर दिया है। महिलाएँ आज परम्परागत समाज के दायरे से बाहर आ चुकी हैं और अब आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए व्यवसायिक समाज से जुडती जा रही हैं। इतना ही नही स्व–रोजगार के उद्यम लगाकर औरो के लिए भी आर्थिक आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं।

मुख्य शब्द

महिला विकास लोकतंत्र, नारीवादी आंदोलन, महिला आरक्षण, राजनीति आँकड़े सहभागिता.

प्रस्तावना

भारतीय लोकशाही के इतिहास में 25 जुलाई

2007 का दिन एक सुनहरा और अविस्मरणीय काल–खण्ड के रूप में याद किया जायेगा। देश के सर्वोच्च और सर्वाधिक गरिमामंडित पद पर एक महिला आसीन हुई। आधी आबादी ने खुली आँखों से जैसे अपने चिर प्रतिक्षित सपने को साकार होते देखा –यह सपना है सत्ता और निर्णायक भूमिकाओ में स़्त्री की सहभागिता का।

जनतंत्र में जन का शासन होता है। जन का अर्थ पुरूष और स्त्री का संख्या बोध नही है बल्कि दोनो की समान साझेदारी है। दोनो सिर्फ लिंग बोध के प्रतीक नहीं बल्कि जन की स्वतंत्रता एवं पृथक इकाई है। भारत मे लोकतंत्र पर प्रश्न चिह लगाया जाता है। मानवाधिकार यदि अंतराष्ट्रीय संगठनों द्वारा आधे लोकतंत्र की बात की जाती है, इसक मुख्य कारण आयोग पुरूष प्रधान समाज है। स्त्री लक्ष्मण रेखा भारत मे है जो चौखट नही लाँघ सकती है, पर्दा उसकी पहचान बन गई है। फलतः लोकतंत्र कही पुरूष के पुरूषार्थ की अभिव्यवित करता है, कही मर्यादा के परदे में सिसकने को मजबूर करता है तो कही देवी और लक्ष्मी के रूप में पूजा–अर्चना, तो कही अग्नि–परीक्षा देती सीता का धरोहर है। परन्तु भारतीय पुरूष स्त्री को दोस्त या समानता का हिस्सेदार नही बना सकता है। स्त्री या तो पूजी जाती है या रौंदी जाती है, बराबरी में खड़ा होना अर्थात् हिस्सेदारी की समानता स्त्री की मर्यादा और पुरूष का पुरूषार्थ दोनो के खिलाफ सामाजिक, ऐतिहासिक एवं मूल्यात्मक दण्ड है।

आधुनिकता के प्रवाह मे स्त्री–पुरूष की समानता की बात ऊपरी तौर पर प्रतिबिम्बित हुई है। नारीवाद बौद्धिक जुगाली का शब्द बना। नारीवादी आन्दोलन स्थापित हुए। राजा राममोहन राय से लेकर वर्तमान 33 प्रतिशत महिलाओ के आरक्षण का इतिहास राजनीति में पुरूष वर्चस्व की मुहर है। सरोजनी नायडू श्रीमती इंदिरा गांधी, मायावती एवं सुषमा स्वराज का नाम हिस्सेदारी की प्रतीक अवश्य है, परन्तु आम महिलाएँ की भागीदारी आज भी पुरूष ही निधर्सरित करते है। बेटी, बहन, पत्नी, बहू तथा माँ के विभिन्न रूप स्त्री के है जिनके भाग्य–विधाता पुरूष है इसीलिए निचले स्तर पर महिलाएँ राजनीति में हिस्सेदारी के मुखौटे अवश्य है, परन्तु वास्तविक भागीदारी से कोसो दुर है। आज भी स्त्री मत देने के लिए पिता, भाई, पति से दिशा–निर्देश पाती है इसीलिए भारत में राजनीति–प्रक्रिया का केन्द्र पुरूष है। भले ही प्रतीत चिह के रूप में सोनिया गांधी वर्तमान राजनीति की महत्वपूर्ण कडी है। अभिजन महिलाएँ ही राजनीति सता के हिस्सेदार है। आम महिलाओ के लिए आज भी चौखट लांघना सीमा का अतिक्रमण है।

प्रांतीय विधायिका में महिला विधायिका की संख्या सोचनीय है। अखंड विधानसभा में महिला विधायक का अनुपात पुरूष की तुलना में मात्र 4 प्रतिशत है। विश्व के संसद में महिलाओ का प्रतिनिधित्व 11.7 प्रतिशत है, जबकि उसकी संख्या पुरूष के बराबर है। एशिया में विधायिकाओं मे महिलाओ का प्रतिनिधित्व 10.1 प्रतिशत है। चीन एक ऐसा एशियाई राष्द्र है जहाँ महिलाओ की भागीदारी 21 प्रतिशत है। विश्व मे सबसे ज्यादा महिला प्रतिनिधित्व स्वीडन मे है, जहाँ इनकी भागीदारी 40.4 प्रतिशत है। सबसे कम महिला प्रतिनिधि अरब राष्ट्रो में है जहॉ इनका प्रतिशत 3.3 है। भारत मे केन्द्रीय स्तर मे महिला सांसदो का प्रतिशत 9.2 प्रतिशत है।

झारखण्ड राज्य के निर्माण हुए भले ही मात्र 22 वर्ष पूरे हुए है, लेकिन इसकी चर्चा काफी समय से होते आ रही है। देश के मानचित्र पर झारखण्ड सदैव चर्चित रहा। इस क्षेत्र की सभ्यता, सांस्कृति और संस्कार दूसरे राज्यों की आपेक्षा कम गौरवशाली नहीं रही है। राष्ट्रीय आन्दोलन से लेकर अलग झारखण्ड राज्य के निर्माण होने तक की प्रक्रिया में सभी वर्गों की भूमिका रही है। यह सर्वविदित है कि हजारो वर्ष पुरानी झारखण्ड की संस्कृति षिक्षा और राजनीति के अलग–अलग आयाम रहे हैं। इस क्षेत्र की आधी आबादी भले ही महिलाओं को कहकर एक पिटे–पिटाई लीक को दुहरा दिया जाता है, लेकिन सच तो यह है कि झारखण्ड क्षेत्र की महिलाएँ ही आर्थिक व्यवस्था की धुरी है जिसके बल पर ही पुरूष प्रधान समाज अपनी राजनीति की बिसात को स्थापित कर पाता है।

दरअसल स्त्री और पुरूष परिवार के आवश्यक अंग है जिसके बिना पारिवारिक पूर्णता प्राप्त ही नहीं हो सकती, साथ ही सामाजिक व्यवस्था में संतुलन स्थापित नहीं किया जा सकता। झारखण्ड की महिलाएँ जीवन के लगभग हर क्षेत्र में आगे बढ़ी है, तथा नए–नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। खेल, शिक्षा, गायन, नृत्य, प्रशासनिक, आर्थिक तथा राजनीतिक समेत तमाम क्षेत्रों में महिलाओं ने अपनी स्पष्ट छाप छोड़ी है। महिलाओं ने साबित कर

दिया है कि वह अबला होते हुए भी सबला है तथा ममता की प्रतिमूर्ति होते हुए भी क्रोध की ज्वाला है। आजादी के बाद नारियों की स्थिति में बदलाव आना एक स्वभाविक प्रक्रिया थी, लेकिन राष्ट्रीय आन्दोलनों में भी स्त्रियों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। आदिवासी वीरागना सिनगी दई ने मुगलों से लोहा लेकर महिला अस्मितता को चुनौती देने वाले लोगों का मुँह बंद करवायी थी। मयुरगंज, सरगुजा और पलामू के क्षेत्रों में सिनगी दई के साथ–साथ उसकी सेनापति कैली दई का भी नाम गर्व से लिया जाता है। इसके अलावा सरस्वती देवी, मीरा देवी, कमला कुमारी, राजेश्वरी सरोज दास, अर्पणा मुखर्जी समेत कितने नाम है, जिन्होंने राजनीतिक विरासत को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

झारखण्ड की महिलाओं की स्थिति पर अद्यतन शोध की आवश्यकता है। नए राज्य के गठन के पश्चात् राजनीतिक के आयामों में परिवर्तन हुआ है। यह स्थिति एकीकृत बिहार में उतनी तीव्र नहीं थी, लेकिन सत्ता में भागीदारी तथा व्यवस्था में भागीदारी की ललक वह भी पूरे अधिकार के साथ महिलाओं में स्पष्ट परिलक्षित होने लगी है। इससे आदिवासी महिलाओं को अलग कर देखना उचित नहीं होगा। उनकी स्थिति को आँकते हुए भविष्य की ओर अग्रसर होने से ही शोध की सार्थकता सही सिद्ध हो सकेगी।

महिलाओं की स्थिति ऑकने का एक महत्वपूर्ण निर्देशांक स्त्री–पुरूष अनुपात या लिंग अनुपात है, जो संयुक्त रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा एवं परिवार के अंदर व्याप्त लिंग–भेद को दर्षाता है। 2011 ई0 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरूषों पर 930 महिलाएँ हैं। वहीं झारखण्ड में जनगणना आँकड़े बताते हैं कि राज्याधीन क्षेत्र में 2001–2011 की अवधि में पुरूषों की तुलना में महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। झारखण्ड में 2001 में प्रति हजार पुरूषों पर महिलाओं की संख्या– 921 थीं, वो बढ़कर 2011 में 930 हो गई है।

इन आँकड़ो के गर्भ में बहुत सारी राजनीतिक तथ्य छिपे हैं तथा झारखण्ड राज्य की महिलाएँ अपने अधिकार, अस्मिता, षिक्षा, सामाजिक सरोकार बखूबी समझती है, जिसकी प्राप्ति राजनीतिक सहभागिता से ही हो सकती है।

किसी भी समाज में महिलाओं की स्थिति का आकलन उनकी जनसांख्यिक, शैक्षणिक, आर्थिक, स्वास्थ्य, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थिति के आधार पर किया जा सकता है। राजनीतिक एवं महत्वपूर्ण पदों पर महिलाओं की भागीदारी, पारिवारिक एवं व्यक्तिगत निर्णय लेने में भागीदारी एवं स्वतंत्रता, आय, ऋण, भूमि, ज्ञान की संख्या में पुरूषों की तुलना में 12,41,998 एवं 47.97 प्रतिषत है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के नाते राजनीतिक में स्त्रियों की स्वतः भागीदारी की माँग समय का तकाजा है। लगातार कई दशकों से स्त्री अधिकारों का संघर्ष चलने के बाद महिला सशक्तिकरण का मुद्दा केन्द्र में आया, जिसका अन्तिम लक्ष्य अथवा उद्देश्य राजनीतिक सहभागिता के रूप में दिखाई दे रहा है। चूल्हे से लेकर संसद विधायक एवं पंचायत की देहरी तक की संघर्ष यात्रा महिलाओं ने बखुबी निभाई है और निभा रहीं हैं। बलबीर दत्त द्वारा लिखित पुस्तक ''कहानी झारखण्ड आन्दोलन की'' में महिलाओं की स्थितियों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। संसद में भी महिलाओं ने अपने विचार रखकर लोगों को प्रभावित किया है। जहाँ नारी जयपाल सिंह, ललिता राज्य लक्ष्मी, विजय राजे, शषांक मंजरी, कमला कुमारी ऐसे कई व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने संसदीय राजनीति पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी निश्चित तौर पर आज सूचना क्रांति के युग में प्रासंगिक है, इन्हीं बिन्दुओं को इसमें तलाशने की आवश्यकता है।

यहाँ यह ज्ञातव्य है कि सामान्यतः महिलाओं को निरंतर दोहरे मानदंडों तथा निराशा की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ एक ओर सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों ने घर से बाहर निकल कर नौकरी करने के लिए उन पर दबाव डाला है, वही दूसरी ओर प्रतियोगिता के मैदान में वे स्वयं को अपर्याप्त रूप से सज्जित महसूस करती है। अतः मुख्य कार्य यह है कि नई उभरती हुई मशीनीकृत नौकरियों एवं आरक्षण की आवश्यकताओं को उपयुक्त एंव सार्थक बनाने के लिए महिलाओं को उचित प्रषिक्षण दिया जाय।

यह कहना पूर्णतः समाचीन प्रतीत होता है कि महिलाओं का वास्तविक उत्थान और कल्याण तभी हो सकता है, जब उन्हें राजनीति में समुचित प्रतिनिधित्व मिले। संसद एवं विधान–सभाओं एवं पंचायत चुनावों में प्रतिनिधित्व

के माध्यम से अपनी आवाज बुलंद कर वे अपने समुचित विकास को सुनिश्चित कर सकती हैं। नारी यदि ऐसे ही अंधकार में भटकती रहेगी, तो हमारी प्रगति की सभी योजनाएँ असफलता के कगार की ओर ही बढ़ती रहेंगी। नारी आत्मनिर्भर बनेगी, उसे भले–बुरे का ज्ञान होगा, तो वह अपने महत्व को समझेगी। महिलाओं का पिछडापन दूर किए बिना समाज एवं देश का विकास संभव नहीं है।

समय की माँग है कि न केवल राजनीतिक दल ही बल्कि महिलाएँ स्वयं भी अपनी इस शक्ति को पहचानें। यदि वे अधिक मतदान के द्वारा दूसरे उम्मीदवारों के भाग्य का निर्णय कर सकती हैं, तो अपना भाग्य तो स्वयं उनके हाथ में ही है। देश में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने तथा विष्व को शांति की राह पर चलाने के लिए राजनीति में महिलाओं का सक्रिया होना वर्तमान समय की एक अनिवार्य माँग है।

संसद में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण, चुनाव इत्यादि के माध्यम से, उनका औपचारिक प्रतिनिधित्व ही उनकी कारगर सहभागिता के लिए पर्याप्त नहीं है। जब तक इसके पूरक के रूप में, उनके मार्ग के व्यवधान सामाजिक–आर्थिक दबावों को दूर करने के उपाय नहीं किए जाते, तब तक अभीष्ट की प्राप्ति कठिन है। अतः अभीष्ट की प्राप्ति हेतु राजनीतिक–आरक्षण के साथ नौकरियों में भी महिलाओं को समुचित आरक्षण दिया जाए। इसके अतिरिक्त महिलाओं में कार्य की प्रवृत्ति एवं जागरूकता पैदा की जाए तथा जानकारी अभियान एवं परस्पर व्यक्तिगत सम्पर्क प्रारम्भ किया जाए।

निःसन्देह देश की विकास–प्रक्रिया में महिलाओं की अधिकाधिक सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें समुचित राजनीति आरक्षण एवं नौकरियों में आरक्षण दिए जाने की सार्थकता आज पहले से कहीं अधिक है। आज देश में ऐसी योजनाएँ क्रियान्वित की जाएँ, जो महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता दिला सकें तथा शैक्षिक सुविधाएँ उनके दरवाजे तक पहुँचा सकें। महिलाओं के बहुमुखी विकास के लिए मौजूदा सरकार को भरपूर प्रयास करने चाहिए। पुरूष–समाज को महिलाओं के प्रति अपने पूर्वाग्रहों को छोड़कर सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

महिलाओं की उन्नति का जो स्वप्न हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने देखा था, वह आज तक अधूरा ही है। आज यदि हम भारतीय महिलाओं को राजनीतिक आरक्षण एवं नौकरियों में आरक्षण देकर उनकी शिक्षा व प्रशिक्षण पर पूरा ध्यान दें, तो इससे इस देश की गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है।

संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की माँग भले ही उठती रही हो लेकिन आँकड़े बताते हैं कि लोकसभा के चुनावों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या कभी भी दस प्रतिशत तक नहीं रही है।

सशक्तिकरण की अवधारणा का संबंध देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन के सभी क्षेत्रों में बदलाव लाने की प्रक्रिया से है। इसका लक्ष्य उनमें सहभागिता का भाव जगाना और उन्हें यह सुरक्षित भाव देना है कि उनकी आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति चाहे जैसी भी हो, उनकी बात सुनी जाएगी। परंतु हमारा यह समाज अनके भिन्नताओं से भरा हुआ है। यह एक बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय तथा बहुवर्गीये समाज है। यहाँ अनेकता ही अनेकता है। इस समाज को बदलने में समय लगेगा, बहुत उथल–पुथल करना होगा, बहुत सारे संतुलन बिगड सकते है, परन्तु हमें सामाजिक असंतुलन बिगाड़े बिना ऐसा कर सकते हैं।

समानता का अर्थ है सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना। सभी को कानून के सामने अवसर हो, सामाजिक समानता हो तथा किसी के साथ कोई भेद–भाव न हो।

हमारे संविधान ने भी सभी को समान अधिकार दिये है। पुरूष एवं महिला में कोई फर्क नहीं है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्तर पर पुरूष एवं महिला एक ही पायदान पर है। दोनों में समानता लाने के लिए इस लोकप्रियता देश में अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

आज हमारे देश में महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय है। आज के इस पुरूष प्रधान देश में महिलाओं को दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाता है। उन्हें बच्चा जनने की मशीन समझा जाता है। प्रसव के दौरान मृत्यु आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में आम बात है। महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति आज भी लोग लापरवाही बरतते है। नतीजा होता है, अस्वस्थ माता एवं अस्वस्थ बच्चे। ग्रामीण महिलाये एनीमिया रोग से पीड़ित पाई जाती है। उन्हें पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता है। अतः हम कह सकते है कि भारत की महिलायें चाहे वे अमीर हो या गरीब, स्वास्थ्य के मामले में काफी कमजोर होती हैं। यही कारण है कि प्रसव के दौरान मातृ–मृत्यु दर सब से अधिक हैं।

इस आधी आबादी को मुख्य धारा में लाना होगा। आजादी के लड़ाई के समय से ही हमने यह अनुभव किया है कि इस बहुजातिय एवं बहुभाषियें समाज को एक सूत्र में बांधने की जरूरत है, खास कर महिलाओं को। सशक्तिकरण का अर्थ है कि शक्ति देना।

शक्ति अथवा अधिकार से जिसे कोई एक व्यक्ति अथवा समाज अथवा सरकार किसी दूसरे व्यक्ति समूह वर्ग समूह, जाति समूह, धार्मिक समूह अथवा लिंग आधारित समूह) को प्रदान कर सकता है।

संदर्भ सूची

1. अग्रवाल, जे0सी0, *भारत में नारी शिक्षा,* प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली।
2. आरजू, एम0एच0 (1993), *भारतीय महिला और आधुनिकरण,* कॉमनवेल्थ पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
3. अंसारी, एम0ए0 (2001), *राष्ट्रीय महिला आयोग और भारतीय नारी,* ज्योति प्रकाशन, जयपुर।
4. मोदी सरोज (1991), *विधानसभाओं में महिला विधायक,* मित्तल पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
5. पाण्डेय केशव (1997), *स्वातंत्रयोत्तर भारत में ग्राम्य विकास और गांधी दर्शन,* मित्तल पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
6. शर्मा, रामनाथ (2000), *भारतीय समाज, संस्थाएँ और संस्कृति,* अटलांटिक पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली।
7. शर्मा, वीरेन्द्र प्रकाश (1999), *भारत में सामाजिक परिवर्तन,* पंचशील प्रकाशन, जयपुर।
8. श्रीवास्तव, सुधा रानी (1999), *महिलाओं के प्रति अपराध,* कॉमनवेल्थ पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
9. शर्मा, राजेन्द्र कुमार (1996), *ग्रामीण समाजशास्त्र,* अटलांटिक पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली।
10. उपाध्याय, रमेश (1996), *हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक सरोकार,* राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।

****